



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15022023-243636
CG-DL-E-15022023-243636

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 672]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 15, 2023/माघ 26, 1944

No. 672]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 15, 2023/MAGHA 26, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 2023

का.आ. 702(अ).—अनुसूची के क्रमिक संख्या 1 कॉलम 2 (सक्षम प्राधिकारी) में एसडीएम के स्थान पर अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) पढ़ें। अनुसूची के क्रमिक संख्या 2 कॉलम 2 (सक्षम प्राधिकारी) में एसडीएम के स्थान पर अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) पढ़ें। अनुसूची के क्रमिक संख्या 3 कॉलम 2 (सक्षम प्राधिकारी) में दलाओ के स्थान पर जिला भू अर्जन पदाधिकारी पढ़ें।

[फा. सं. N/08034/03004/BR]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

CORRIGENDUM

New Delhi, the 14th February, 2023

S.O. 702(E).— Sl. No. 1 Column No 2 (CALA) of Schedule to be read as ADM(F/R) instead of SDM.
Sl. No. 2 Column No 2 (CALA) of Schedule to be read as ADM(F/R) instead of SDM.

[F. No. N/08034/03004/BR]

RAJESH GUPTA, Director

986 GI/2023